तहसीलदार (भू.अ.) बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) बनेडा जिला–भीलवाडा

रिमाण्ड प्र0स0 01/2017 श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महो0 बनेडा

निर्णय दिनांक 10/05/2018

दायर 28/11/17 प्रकरण संख्या 11/2017

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि प0ह0 बनेडा द्वारा रूपा पिता जोधा कहार निवासी बनेडा की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 3893 दर्ज किया गया जिससे रूष्ठ होकर अपीलार्थी हजारी ने श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत कर यह निवेदन किया की रूपा कहार ने अपने जीवन काल मे अपीलार्थी के पक्ष में 12–12–1994 को एक वसीयत नामा निष्पादीत कर अपीलार्थी हजारी को अपनी सम्पती का स्वामी घोषित किया था उपखण्ड अधिकारी ने उक्त प्रकरण संख्या 01/2017 राजस्व अपील हजारी बनाम केली में निर्णय दिनांक 12–10–2017 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन ना0स0 3893 आदेश दिनांक 20/12/16 अपास्त किया था एवं उक्त प्रकरण मे अजसिरे उभय पक्षो को सुनवाई एवं समूचित साक्ष्य दस्तावेजी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर 06 माह की समयावधि मे नवीन निर्णय पारित करें।

आदेश की पालना मे दिनांक 28/11/17 को उक्त रिमाण्ड प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प0ह0 बनेडा को कार्यालय हाजा के कमांक/भू.अ./न्याया./17/3264 दिनांक 30/11/17 से उक्त नामान्तरकरण संख्या 3893 को अपास्त कराने बाबत निर्देशित किया गया। एवं दिनांक 06/12/17 को उभय पक्षों को नोटिस जारी कर वास्ते बयान तलब किया गया। दिनांक 08/12/ 17 को प0ह0 बनेडा द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 3893 को अपास्त कराया गया।

दिनांक 20/12/17 को अपीलार्थी हजारी पिता चन्द्रा कहार निवासी बनेडा बयान बाबत् हाजिर हुआ। अपीलार्थी के बयान दर्ज कर शामिल पत्रावली किये गये। अपीलार्थी ने अपने बयानो मे यह इकरार किया कि रूपा पिता जोधा कहार द्वारा निष्पादित अपंजिकृत वसीयत पत्र मे वसीयतकर्ता ने लिखवाया कि मेरे जीवित रहते व मेरी पत्नि के जीवित रहते उक्त भूमि हमारी रहेगी। हमने वसीयत पत्र का अवलोकन किया जिसमे वसीयतकर्ता ने स्वयं व पत्नि के जीवित रहने तक उक्त कृषि भूमि इनकी रहने का उल्लेख किया है एवं वर्तमान मे वसीयतकर्ता की पत्नि केली जीवित है।

दिनांक 20/12/17 को अप्रार्थी केली के अधिवक्ता श्री लालाराम गुर्जर ने वकालतनामा पेश कर अप्रार्थी केली के बयानो बाबत् समय मांगा जिसे दिनांक 08/01/17 तक का समय दिया गया।

इसी दोरान अपीलार्थी हजारी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर के यहां पुनः अपील की गई अतः मूल ही पत्रावली दिनांक 05/01/18 को श्रीमान् संभागीय आयुक्त को प्रेषित की गई। श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर से मूल ही पत्रावली पुनः दिनांक 15/03/18 को इस आदेश के साथ प्राप्त हुई की अपीलांट अपील को आगे नही चलाना चाहता है। अतः अपील अपीलांट नोट प्रेस किये जाने से खारिज फरमाई जावें। अतः पत्रावली पुनः नम्बर पर लेकर प0ह0 बनेडा को कार्यालय हाजा के पत्र कमांक 1139 दिनांक 24/04/18 से उक्त कृषि आराजियात संख्या 5467 किता 03 रकबा 04–14 बीघा मे वसीयतकर्ता रूपा पिता जोधा 1/4 कहार निवासी बनेडा के हिस्से की भूमि स्वअर्जित है अथवा पैतृक की रिर्पोट चाही गइ। एवं अप्रार्थीया केली पत्नि रूपा कहार को पुनः नोटिस जारी कर बयान बाबत् दिनांक 07/05/18 को तलब किया गया।

दिनांक 07/05/18 को केली पत्नि रूपा कहार ने उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराये जिसे शामिल पत्रावली किये गये। दिनांक 08/05/18 को प0ह0 बनेडा ने उक्त कृषि आराजियात् 5467 रकबा 03 बिस्वा , 5468 रकबा 03 बीघा 5469 रकबा 01 बीघा 11 किता 03 रकबा 04–14 बीघा मे वसीयतकर्ता का 1/4 हिस्सा पैतृक भूमि है अथवा स्वअर्जित है, रिर्पोट पेश की। प0ह0 बनेडा ने अपनी रिर्पोट मे उक्त भूमि पैतृक पुस्तेनी होने की पुष्टि की जो शामिल पत्रावली है।

तहसीलदार (भू. अ.)
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का व रेकार्ड का अपलोकन किया जिसके अनुसार ग्राम बनेडा की आराजियात् 5467 रकबा 03 बिस्वा , 5468 रकबा 03 बीघा 5469 रकबा 01 बीघा 11 किता 03 रकबा 04–14 बीघा मे जमाबन्दी चोसाला 2069–2072 सम्वत् के अनुसार रूपा पिता जोधा कहार का 1/4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था पटवारी हल्का के अनुसार उक्त भूमि रूपा पिता जोधा की स्वअर्जीत नही होकर प्रेतृक भूमि थी । प्रार्थी हजारी द्वारा प्रस्तुत वसीयत का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वसीयतकर्ता ने वसीयतनामे में जब तक मे यानि रूपा एंव मेरी पत्नि यानि केली के मरने के बाद ही हमारी चल अचल सम्पति का हकदार हजारी पिता चन्द्रा होगा अंकित किया है

चुंकि वसीयतकर्ता की पत्नि जीवित है एंव वसीयत की गई अचल सम्पति कृर्षि भूमि भी प्रेतृक है नियमानुसार स्वअर्जीत भूमि की ही वसीयत की जा सकती है अतः ऐसी स्थिति में ग्राम बनेडा में स्थित आराजियात् 5467 रकबा 03 बिस्वा , 5468 रकबा 03 बीघा 5469 रकबा 01 बीघा 11 किता 03 रकबा 04–14 बीघा जो कि रूपा पिता जोधा कहार के नाम दर्ज है कि एक मात्र वारिस उसकी पत्नि केली पत्नि रूपा कहार ही है जिसके नाम नामान्तरकरण दर्ज करना उचित प्रतित होता है

आदेश

अतः ग्राम बनेडा के आराजियात् 5467 रकबा 03 बिस्वा , 5468 रकबा 03 बीघा 5469 रकबा 01 बीघा 11 किता 03 रकबा 04–14 बीघा में रूपा पिता जोधा 1/4 कहार निवासी बनेडा के स्थान पर उसकी एक मात्र विधिक वारिसान पत्नि केली पत्नि रूपा कहार निवासी बनेडा के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो व अमल दरामद हेतु पटवारी हल्का बनेडा को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 10/05/18 को खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

तहसीलदार (भू.अ.)
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
तहसीलदार (भू०अ०) बनेडा
जिला भीलवाडा

Scanned by CamScanner